पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–02/14 144

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी०के०त्रिपाठी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 18-12-14

विषय :– माँग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–35–ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200101350545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	**माँग संख्या/मुख्य शीर्ष**	**लघु शीर्ष/उप शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड**	**आवंटित राशि (लाख रू० में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	50–लघु सिंचाई विभाग/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल / 35–ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश),	05–निर्माण, 45–मुख्य निर्माण 50P470200101350545	**200.00**
आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–2015 के **उपबंध रू० 15700.00 लाख (एक सौ संतावन करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2015** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :– यथोक्त

(हस्ताक्षर) 17/12/2014

(बी.के.त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 144 रॉंची, दिनांक :– 18-12-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड; पो० – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(हस्ताक्षर) 17/12/2014

(बी.के.त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 144 राँची, दिनांक :– 18-12-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)	**(बी.के.त्रिपाठी)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**अपर मुख्य सचिव**

पत्रांक – 144 /राँची, दिनांक – 18-12-14 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50 लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उपशीर्ष–35–ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश),
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200101350545
बजट उपबंध (वर्ष 2014–15) रू. 15700.00 लाख।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 14 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMIR001)	हजारीबाग	कटकमसांडी	सिवाने नदी पर चेकडैम	39/19.03.13	57.330	0.000	0.00	200.00	200.00	80461	
			बरकट्टा (चलकुशा)	रहसींगा नाला पर श्रृ.चेकडैम	11/03.05.11	84.120	0.000					
			चौपारण	पिपरा नाला पर चेकडैम	63/30.03.11	141.140	0.000					
							योग	**0.00**	**200.00**	**200.00**		
आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ मात्र।												

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी.के.त्रिपाठी)
अपर मुख्य सचिव